निगरानी 605-PBR-15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

रा0प्र0क्र0

मेसर्स आर–4 ग्रुप द्वारा
भागीदार लक्ष्मण जनियानी आ0 रतन जनयानी व अन्य .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त बैरागढ़,
   तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)
2. तहसीलदार, बैरागढ़, तहसील हुजर, भोपाल (म.प्र.)
3. लक्ष्य रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड
   द्वारा संचालक श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री ए.के. वर्मा
   पता– एस.एफ. 15–सी, सी–ब्लाक, मानसरोवर काम्प्लेक्स,
   होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)
4. लेकलैण्ड लैण्ड बिल्डर्स एवं डेवलपर्स द्वारा भागीदार
   श्री वारिक हुसैन पुत्र ए.एस. खान
   कार्यालय– लेक पर्थ सेन्टर
   गोंदरमऊ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) .... विपक्षी

आवेदन अंतर्गत म0प्र0भू–राजस्व संहिता – 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी (जिसे आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से संहिता के नाम से संबोधित किया गया है) अनुविभागीय अधिकारी वृत्त–संत हिरदाराम नगर, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल, के प्रकरण क्रमाक 20/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2015 से प्रतिवेदित होकर प्रस्तुत है। (संलग्न 01)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 605–पीबीआर / 15 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–7–2015	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.3.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से आवेदक का स्थगन निरस्ती सम्बन्धी आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । तर्क के दौरान उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा बताया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश दे दिया गया है । अतः व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	